वे लोग उन के पशुओं को निस्तार की सुविधा देने में परेशान करते हैं तथा 31-12-76 पूर्व के वन भूमि पर कब्जों पर से छोटे हरिजन एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को हटाया जा रहा है। कहीं कहीं उन गरीब किसानों से रुपया मांगने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिये ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ एवं निस्तार की लकड़ी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस के कारण किसानों को चोरी छिपे जंगलों से लकड़ी काटने पर बाध्य होना पड़ता है । इसी प्रकार आवासीय योजना के अन्तर्गत जिन्हें भूखंड आवंटित आवंटित हो चुके हैं, ऐसे आवासहीन व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये मध्य प्रदेश शासन से निःशुल्क बल्ली एवं बांस आदि देने की योजना है परन्तु आज तक वन विभाग द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र के 16 ब्लाक मुख्यालयों पर इन गरीब लोगों को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है जो कि खेद-जनक है एवं 25 सूत्री कार्यक्रमों के प्रति वन विभाग की उदासीनता का प्रतीक है ।

(vi) STEPS TO HAND OVER POSSESSION OF DISTRIBUTED LAND TO HARIJANS AND SCHEDULED TRIBES IN U.P., BIHAR AND MADHYA PRADESH.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बदीय लोक महत्व के प्रश्न को आप के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मैं आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान देश के अनेकानेक राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भूमि आवंटन के संदर्भ में बरती जा रही उपेक्षा की ओर आकर्षित कराते हुए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

मान्यवर, आज 10 वर्ष से प्रदेश में कई बार राजनैतिक परिवर्तन हुए । सरकारें बदली किन्तु सभी सरकारों ने महात्मा गांधी के राम राज्य की उस अवधारणा को ध्यान में रखा कि देश का कोई भी हरिजन आदिवासी या कमजोर वर्ग का व्यक्ति गृहहीन न रह जाये ।

इस भावना के अन्तर्गत प्रायः हर गांव में बंजर या रिक्त आबादी की जमीन जो शेष थी, वह इन वर्गों को आवास निर्माणहेतु आवंटित की गई । कुछ राज्य सरकारों ने इस से भी आगे का कदम उठाया और इन्हों ने कृषि हेतु भी कहीं कहीं जमीनें भूमिहीनों को आवंटित कर हरिजनों, आदिवासियों को दी गई, इस सहायता के संबंध में समाचारपत्रों के माध्यम से लम्बी डींग हांकी । इस में कोई संदेह नहीं कि यह कदम एक आवश्यक और अपरिहार्य कदम रहा, किन्तु खेद इस बात का रहा कि यह सब कार्य महज कागज पर ही हुआ और हरिजनों के प्रति दर्शायी गयी यह हमदर्दी अर्थहीन ही रही ।

विगत वर्ष, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आदि में जो सरकारे बनीं उन्हों ने इस बात को स्वीकार भी किया कि इन वर्गों में हुए इस कागजी कार्य को पूर्ण रूप से व्यवहार में लाया जाये । स्थानीय जिलाधीशों को आदेश दिये गये कि आवंटित जमीनों पर तुरन्त कब्जे दिलाये जाये । खेद है कि आज तक प्रभावपूर्ण लोगों के कब्जे में चली आ रही उन जमीनों पर इतने प्रचार एवं कठोर आदेश के बावजूद भी कब्जा नहीं हुआ ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर नामक तीन जनपदों को मिला कर बनी मेरी सुरक्षित कास्टीटुयेन्सी सैदपुर में अभी तक 85 प्रतिशत आवंटित जमीनों पर इन गरीबों को कब्जा नहीं मिला । आवंटित भूमि पर जिन लोगों का कब्जा है, उन पर कोई भी सरकारी आदेश लागू नहीं होता ।

ऐसी परिस्थिति मे मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे राज्य सरकारों से तुरन्त सूचनायें प्राप्त करें ताकि आवंटित जमीनों पर अब तक क्यों नहीं कब्जा दिलाया

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

गया। साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे क्षेत्रीय विधायकों एवं सांसद सदस्यों की एक कमेटी बनायें जिसको यह अधिकार दिया जाये कि आवंटित जमीनों के कब्जों की ये पूर्व सूचनायें प्रादेशीय मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री को निरन्तर देते रहें।

(vii) MAINTENANCE OF LAW AND ORDER, IN CONNECTION WITH ELECTION OF STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF DELHI.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Elections of the students' Unions of the University of Delhi and many of its colleges, involving nearly 60,000 voters are to be held on 28t August, 1981. It sould be the duty of the University authorities, the Delhi Administration and the Central Government to ensure that members of unions contest, canvass and vote freely and witout any fear. However, there are disconcerting reports of violence and intimidation and even an apprehension about booth capturing as been expressed.

A few days back there was a violent clash in which even fire-arms were used at a college when some students went there to canvass support.

It is reported that in about half a dozen colleges, office bearers have been elected unanimously, withdrawal of their nominations having been obtained under intimidation and threat of violence.

I demand that—

(1) All the so-called unopposed elections be cancelled and fresh nominations invited.

(2) The Administration should make adequate arrangements on the polling day to ensure peaceful and fair poll,

(3) An enquiry should be conducted into the manner in which the Lodi Road Police Station authorities, handled the situation arising out of the violent, clash at Dayal Singh College on August 20, 1981.

It is the duty of the Government to ensure free and fair elections in the University of Delhi and its Colleges situated in the Capital by maintaining law and order.

(viii) RELIEF MEASURES FOR DROUGHT AFFECTED AREAS OF UTTAR PRADESH BY PROVIDING BETTER IRRIGATION FACILITIES, ETC.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष, जी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी मण्डल के गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर तथा वाराणसी जिले में वर्षा कम होने के कारण अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई है। बरसात के शुरू में धान की बुवाई बड़े पैमाने पर की गई थी। परन्तु, जब वर्षा न होने के कारण धान की फसलें खेतों में सूखी रही हैं। यदि वर्षा की स्थिति इसी तरह कायम रही तो आगे रबी की बुआई होना भी कठिन है।

सब से दुखद बात तो यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली का गंभीर संकट होने के कारण सिंचाई के साधन अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और किसानों को वर्षा पर ही आश्रित होना पड़ रहा है। वाराणसी मण्डल में और विशेषकर गाजीपुर जिले में केवल 2–3 घंटा रोजाना ही बिजली मिल पाती है। गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील में तो लगभग पिछले एक महीने से बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की पम्प नहरें तथा नलकूप चल नहीं पा रहे हैं। नहरों के न चलने के कारण सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पूरे क्षेत्र में हा-हाकार मची हुई है और किसान अपने सूखते हुए खेतों को देख कर जब नहरों की तरफ तथा नलकूपों की नालियों की तरफ आंख उठाकर देखता है तो वे भी सूखी ही मिलती हैं। बिजली के गंभीर अभाव के कारण उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने को असहाय महसूस कर रही है।